

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1161/2022/10-11/1096
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14-2-24

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, बड़वाह, मध्यप्रदेश

विषय:- खरगोन जिले के बड़वाह वन मण्डल में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हे.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/Road/152561/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPB 031/2022-BHO दिनांक 14.02.2024 .

---0---

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 01 बिन्दु पर जानकारी चाही गई है।

अतः भारत सरकार के चाहे अनुसार जानकारी इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल


पृ. क्रमांक/एफ-5/1161/2022/10-11/1097
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 14-2-24

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा, मध्यप्रदेश।

की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



सत्यमेव जयते

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL
KendriyaParyavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL-462016 (M.P.)



TEL: 0755-2466525E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीबी 031/2022-बीएचओ/

दिनांक 19/02/2024.

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल,
(मध्यप्रदेश)।

विषय: खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर-एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर (पूर्व में आवेदित 4.138 हे.) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/Road/152561/2022)।

संदर्भ: 1. कार्यालय का पत्र क्रमांक 6-एमपीबी 031/2022-बीएचओ दिनांक 18/12/2023.

2. नोडल अधिकारी, म.प्र. का पत्र क्रमांक एफ-5/1161/2022/10-11/810 दिनांक 05/02/2024.

3. एफ.आर.सी.एम. कार्यवृत्त क्रमांक 6-एफआरसीएम 09/2021/292 दिनांक 09/02/2024.


महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित एफ. आर.सी.एम. बैठक दिनांक 06/02/2024 को की गयी। बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 09/02/2024 अनुसार निम्नलिखित जानकारियाँ/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. The concerned DFO shall submit a detailed report on violation, giving detail information about action taken after determining the type of violation as per guideline Para 1.16 of the Handbook shall be submitted.

It is requested to submit report to the Regional Office, Bhopal as soon as possible so that a decision can be taken in the proposal in the REC.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।


(डॉ. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि: अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, तुलसीनगर, भोपाल।